कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 220/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 08.06.2026

प्रेस नोट

दिनांक : 08.06.2026

थाना : गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

अंतर्राष्ट्रीय साइबर संस्था NCMEC की Cyber Tipline Report के आधार पर बड़ी कार्रवाई) बाल यौन शोषण :CSEAM) सामग्री प्रसारित करने व नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

साइबर सेल आजमगढ़ की तकनीकी जांच से खुला डिजिटल अपराध का नेटवर्क, IP ट्रैकिंग एवं लॉग विश्लेषण से अभियुक्त की पहचान

महिला एवं बाल अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित गिरफ्तारी

पूर्व में दिनाक 05.06.2026 को "NCMEC Cyber Tipline Report एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित बाल यौन शोषण व दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त को थाना गंभीरपुर पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था।

मुख्य घटना एवं विधिक कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 07.06.2026 को वादी द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त **आशीष कुमार प्रजापति पुत्र हंश कुमार प्रजापति निवासी सरदहा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़** द्वारा उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर **मु0अ0सं0-146/2026 धारा 65(1)/351(3) BNS एवं 3/4(2) POCSO एक्ट** पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

➡ दिनांक 05.06.2026 को वादिनी द्वारा थाना गम्भीरपुर पर दी गई सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-141/2026 धारा 65(1), 351(3) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त मो0 जाहिद उर्फ रुस्तम द्वारा दो नाबालिग पुत्रियों के साथ दुष्कर्म एवं धमकी देने का आरोप था। विवेचना के दौरान NCMEC Cyber Tipline Report एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित कर पुलिस टीम द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान हुई मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया।

साइबर सेल की तकनीकी जांच एवं NCMEC रिपोर्ट का विश्लेषण-

विवेचना के दौरान जनपद साइबर सेल आजमगढ़ को तकनीकी जांच हेतु लगाया गया। जांच में अंतर्राष्ट्रीय संस्था **NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children, USA)** की Cyber Tipline Report का विश्लेषण किया गया, जो वैश्विक इंटरनेट प्लेटफॉर्म (Google, Meta आदि) द्वारा प्राप्त अलर्ट पर आधारित थी।

साइबर सेल द्वारा—

- IP Address ट्रैकिंग
- डिजिटल लॉग्स का विश्लेषण
- सोशल मीडिया/ऑनलाइन अकाउंट की जांच
- डिजिटल फुटप्रिंट का मिलान

के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त द्वारा इंटरनेट माध्यम से **बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM)** का प्रसारण एवं उपयोग किया जा रहा था। जांच में उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का अभियुक्त के प्रोफाइल से मिलान कर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2026 को थानाध्यक्ष गम्भीरपुर **अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह पुलिस टीम एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम** द्वारा अभियुक्त **आशीष कुमार प्रजापति पुत्र हंश कुमार प्रजापति निवासी सरदहा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़** को **बाबा बेचन मोड़, किशुनपुर काशीनाथ** से समय करीब **10:10 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. आशीष कुमार प्रजापति पुत्र हंश कुमार प्रजापति, निवासी : ग्राम सरदहा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र : करीब 32 वर्ष

बरामदगी-

01 अदद मोबाइल फोन (डिजिटल साक्ष्य सहित सुरक्षित)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी
2. का0 अजीत पटेल
3. रि0का0 मुकेश गुप्ता
4. रि0म0का0 सुधा कुमारी

साइबर सेल टीम-

1. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम
2. मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल
3. का0 सतेन्द्र कुमार यादव
4. का0 राहुल सिंह

निष्कर्ष-

यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संस्था **NCMEC की Cyber Tipline Report**, साइबर सेल की तकनीकी दक्षता एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस की तत्परता का संयुक्त एवं सफल उदाहरण है, जिसके माध्यम से गंभीर साइबर एवं बाल अपराध का प्रभावी अनावरण किया गया।